

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।

"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

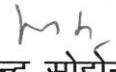
क्रमांक: एफ.4(ई)(1)(6)/सेकिण्डमेन्ट/अलेसे-III/4024 जयपुर दिनांक : 05.08.2019

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के निर्देशानुसार दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के राज्य पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन पुनरीक्षण/संशोधन कार्य हेतु निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को कोषालय, कोटा में सेकिण्डमेन्ट के आधार पर तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.सं.	लिंक नं.	नाम कार्मिक सर्वश्री	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	सेकिण्डमेन्ट बेसिस पर पदस्थापित कार्यालय का नाम
1.	11422	नरपत सिंह चौहान	अधीक्षक, एम.बी.एस. हॉस्पिटल, कोटा	कोषाधिकारी, कोटा
2.	11236	नितेश जांगिड़	अति० उपायुक्त, आबकारी विभाग, कोटा	कोषाधिकारी, कोटा
3.	11257	मनीष पाल नागर	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा	कोषाधिकारी, कोटा
4.	12951	अभय सिंह कछावाहा	अधीक्षण अभियंता (वृत्त), पी.एच. ई.डी. कोटा	कोषाधिकारी, कोटा
5.	11188	हनुमान प्रसाद गर्ग	कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, झालावाड़	कोषाधिकारी, कोटा
6.	11417	अमन वर्मा	रजिस्ट्रार, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	कोषाधिकारी, कोटा

उपरोक्त समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे आज ही अपने वर्तमान पदस्थापित कार्यालय से कार्यमुक्त होकर कोषालय, कोटा में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक: एफ.4(ई)(1)(6)/सेकिण्डमेन्ट/अलेसे-III/4024 जयपुर दिनांक : 05.08.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
- श्री कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट/पीआईएस में रिकॉर्ड संधारण हेतु।
- अति० निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)